

उत्तर प्रदेश शासन,  
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन अनुभाग-2,  
संख्या- 13/2017/541 /18-2-2017-97(ल030)/2016  
लखनऊ:: दिनांक 25 अगस्त, 2017

## कार्यालय-आदेश

भारत सरकार द्वारा ई-प्रोक्चोरमेंट पोर्टल के रूप में गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) विकसित किया गया है, जो gem.gov.in पर उपलब्ध है। राज्य सरकार द्वारा इस पोर्टल को शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97(ल030)/2016 दिनांक 23 अगस्त 2017 द्वारा अंगीकृत कर लिया गया है। इस पोर्टलको उपयोग हेतु प्राथमिक उपयोग कर्ता (प्राइमरीयूजर्स) के रूप में निम्न अधिकारियों को पदनाम से इंगित भूमिका (Role) हेतु अधिकृत किया जाता है:

Sr. No.	Role	Designation	Name of Organization
1.	Primary User	आयुक्त एवं निदेशक	उद्योग तथा उद्यम प्रोत्साहन, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
	Primary User	आयुक्त	निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
	Primary User	निदेशक	उत्तर प्रदेश डिजाइन संस्थान लखनऊ।
	Primary User	प्रबन्धनिदेशक	उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, कानपुर।
	Primary User	प्रबन्धनिदेशक	30प्र0 हस्तशिल्प विपणन निगम, लखनऊ।
	Primary User	निदेशक	उद्यमिता विकास संस्थान, लखनऊ।
2.	Verifying Officer	प्रमुख सचिव Email: psec.msme- up@gov.in	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

- उपरोक्त प्राइमरी यूजर GeM (<http://gem.gov.in/auth/register>) पर पंजीकरण करा लेंगे।
- यदि एक अधिकारी उपरोक्त वन्दोया अधिक संस्थाओं में प्राइमरी यूजर हैं, तो एक को छोड़कर शेष संस्थानों में वे अपने अधीन स्थवरिष्ठतम अधिकारी को उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्राइमरी यूजर नामित करेंगे।
- प्राइमरी यूजर्स के जेम पर पंजीकरण हेतु निम्नलिखित सूचना की आवश्यकता होगी:-
  - आधार नम्बर
  - आधार नम्बर से जुड़ा हुआ मोबाइल नम्बर
  - सरकारी ई-मेल आईडी ( nic.in/ gov.in domain पर)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

